3.9 फीसद अधिकारी भारतीय सेना में महिलाएं हैं। सरकार की तरफ से पिछले साल राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, 6.7 फीसद नौसैन्य अधिकारी और 13.28 फीसद भारतीय वायु सेना की अधिकारी महिलाएं हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 5 मार्च 2020

गरीब सवर्णों को अब मेडिकल पीजी में भी मिलेगा आरक्षण

अधिसूचना जारी ▸ देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 10 फीसद सीटें आरक्षित

शैक्षणिक सत्र 2020-21 से होगा विद्यार्थियों का दाखिला

ऋषि दीक्षित, कानपुर

देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गरीब सवर्णों को अब मेडिकल की स्नातकोत्तर यानी पीजी कक्षाओं में दाखिले के लिए भी आरक्षण मिलेगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एमएस व एमडी कोर्सेज की 10 फीसद सीटें आरक्षित कर दी हैं। इसके लिए पीजी में कुल 1775 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें 1498 सीटें गरीब सवर्णों के लिए आरक्षित होंगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 138 सीटें शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने का निर्णय लिया था। एमसीआइ ने इसी क्रम में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 2019-20 से आरक्षण लागू कर दिया था। अब 2020-21 से मेडिकल की स्नातकोत्तर कक्षाओं में इसे लागू किया जा रहा है। इसके लिए एमसीआइ ने देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पीजी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव मांगा था। इन कॉलेजों में सुविधा, संसाधन एवं फैकल्टी की उपलब्धता को देखते हुए सीटें बढ़ाई हैं। इससे सामान्य सीटें प्रभावित नहीं होंगी।मेडिकल कॉलेजों में गरीब सवर्णों के लिए बढ़ाई गईं पीजी सीटों पर दाखिला नीट पीजी के जरिये होगा।

इन प्रदेशों में बढ़ीं सीटें

महाराष्ट्र	366	राजस्थान	92	त्रिपुरा	16
मध्य प्रदेश	187	आंध प्रदेश	85	हरियाणा	16
तेलंगाना	153	असम	83	पंजाब	14
उत्तर प्रदेश	138	छत्तीसगढ़	80	ओडिशा	14
बंगाल	136	झारखंड	47	हिमाचल प्रदेश	07
गुजरात	132	गोवा	19	पुडुचेरी	05
बिहार	131	उत्तराखंड	17	चंडीगढ़	04

एमसीआइ ने ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिक वीकर सेक्शन) का आरक्षण नए सत्र से लागू कर दिया है।इसके तहत उप्र में 138 पीजी सीटें बढ़ गईं हैं।एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। **-प्रो. आरती लालचंदानी, प्राचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज**

राष्ट्रीय परिदृश्य

- 5553 मेडिकल कॉलेज
- 19,953 पीजी सीटें (एमएस/एमडी)

भाजपा बोली-असली खेल तो अब शुरू हुआ

प्रथम पृष्ठ से आगे

भाजपा ने दावा किया है कि 15 से 20 विधायक उसके संपर्क में हैं। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' से कहा कि कांग्रेस के 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस विधायक काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए उनमें असंतोष है। हालांकि, सियासतदार इसे माहौल बनाए रखने वाला बयान बता रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप पर मिश्रा ने कहा कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लठ्ठा। बहरहाल यह सियासी संग्राम एक-दो दिनों में और तेज होने के आसार हैं। भाजपा का कहना है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।

रामबाई के पति बोले-जबरिया अफवाह फैलाई : मप्र बसपा की निलंबित विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार ने कहा कि उनकी पत्नी बीमार बेटी से मिलने दिल्ली गई थीं, लेकिन अफसोस है कि दिग्विजय ने इसे हॉर्स ट्रेडिंग से जोड़ दिया।

ये विधायक भोपाल लौटे : एदल सिंह कंषाना (कांग्रेस), राजेश शुक्ला (सपा), संजीव सिंह कुशवाह (बसपा) और रामबाई (बसपा)।

ये विधायक हैं लापता : बिसाहूलाल सिंह (कांग्रेस), हरदीप सिंह डंग (कांग्रेस), रघुराज सिंह कंसाना (कांग्रेस) और सुरेंद्र सिंह शेरा (निर्दलीय) लापता हैं।

मध्य प्रदेश के आगर में बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और गोपाल भार्गव के काफिले को काले झंडे दिखाते कांग्रेस कार्यकर्ता। नईदुनिया

भाजपा माफियाओं के साथ मिलकर प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की लगातार असफल कोशिश कर रही है।कांग्रेस सरकार के पास पूरा बहुमत है।हर बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है।इस बार भी भाजपा के मंसूबे मुंगेरीलाल के सपने साबित होंगे। **-कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मप्र**

मप्र में कांग्रेस सरकार को अब कोई खतरा नहीं है। राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट भी कांग्रेस जीतेगी।
-दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

कांग्रेस में कई गुट है, जो एक-दूसरे को निपटाने में लगे हैं।उनकी लड़ाई वो जाने, भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है।
-शिवराजसिंह चौहान, पूर्व सीएम

राजीव के जारी किए लाइसेंस का दोबारा सत्यापन करेगी सीबीआइ

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़ : कश्मीर कैडर के बर्खास्त आइएएस अधिकारी राजीव रंजन द्वारा 2016-17 में कुपवाड़ा के डीसी रहते जारी करीब 30 हजार आर्म्स लाइसेंस के धारकों को सीबीआइ की स्पेशल सेल नोटिस जारी करेगी और उन्हें दोबारा सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस दौरान गड़बड़ मिलने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।

सीबीआइ के अनुसार राजीव ने जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लोगों को फर्जी दस्तावेज और बिना सत्यापन के करीब 30 हजार आर्म्स लाइसेंस जारी किया हैं। चंडीगढ़ से गिरफ्तार राजीव रंजन और 2013 से 2015 तक कुपवाड़ा के डीएम रहे इतरत हुसैन को श्रीनगर कोर्ट में पेश कर 10 दिन के रिमांड में सीबीआइ पूछताछ कर रही है। एजेंसी के अनुसार राजीव रंजन ने प्रति लाइसेंस 8-10 लाख रुपये लिया है। ये लाइसेंस कश्मीरियों को ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के लोगों को भी फर्जी कागजातों पर कश्मीरी बताकर दिए थे। चंडीगढ़ सीबीआइ की एक टीम को जोड़कर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लाइसेंस धारकों तक पहुंचने में लगी है।

उत्तर प्रदेश में दो नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कनेक्टिंग इंडिया स्कीम के तहत रेलवे ने उत्तर प्रदेश में दो नई लाइनों समेत देश में चार नई लाइन परियोजनाओं की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज (इलाहाबाद) से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) के बीच मौजूदा दोहरी लाइन के साथ एक तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा सहजनवा-दोहरीघाट को एकदम नई लाइन के जरिये जोड़ा जाएगा।

अन्य दो परियोजनाओं के तहत असम में बोंगाइगांव-अगठोरी के बीच मौजूदा एकल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। महाराष्ट्र में वैभववाड़ी तथा कोल्हापुर को नई लाइन बिछाकर रेल संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा।

पूंजीगत परिव्यय बढ़ा : रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले छह वर्षों में रेलवे का पूंजीगत परिव्यय तीन गुना बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में पूंजीगत परिव्यय केवल 53,980 करोड़ रुपये था। परंतु 2020-21 के बजट में इसे बढ़ाकर 1,61,042 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यही नहीं, इन वर्षों में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। वर्ष 2013-14 में जहां केवल 610 रूट किलोमीटर लाइनें विद्युतीकृत हुई थीं। वहीं 2019-20 में 6000 रूट किलोमीटर लाइनों को विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे का लक्ष्य 2023-24 तक सभी लाइनों को पूरी तरह से विद्युतीकृत किए जाने का है।

चौकीदार रहित क्रासिंग पूरी तरह से खत्म

क्रासिंग हादसे खत्म करने के लिए चौकीदार रहित रेलवे क्रासिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जबकि अब चौकीदार युक्त क्रासिंग को ओवरब्रिज या अंडरपास बनाकर खत्म करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान चौकीदार वाली 1035 क्रासिंग खत्म की गई हैं। इससे पहले 2018 में जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तब इसी अवधि में 357 चौकीदार युक्त क्रासिंग को समाप्त किया गया था।

अमेठी में सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन को लेकर फिर घमासान

जागरण संवाददाता, अमेठी

- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमीन हथियाने का लगा आरोप
- कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

अमेठी में सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन को लेकर जारी घमासान का जिन्न बुधवार को एक बार फिर बाहर आ गया। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किसानों की जमीन हथियाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल को संबोधित मांग पत्र कार्यालय की दीवारों पर चस्पा किया। मांग पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका की फोटो छपी है। पैंफलेट पर नीचे विस्थापित कृषक संघर्ष समिति कौहार के अध्यक्ष के साथ ही दस किसानों के नाम भी अंकित हैं। इस बीच कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में तकरार भी हुई। पुलिस ने किसी तरह से मामले को संभाला।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपाइयों को कांग्रेस कार्यालय की ओर जाने से मना किया, लेकिन नारेबाजी करते हुए वे पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर कार्यालय में दाखिल हो गए। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सामने आ गए। दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। 15 मिनट तक वहां अफरा-तफरी बनी रही। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही किसान विरोधी रहा है। वह हमेशा से किसानों को धोखा देती रही है, लेकिन अब किसान उसकी सच्चाई को जान चुके हैं।

सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन। फाइल

प्रदीप बोले, किसानों की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस : कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा कि पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है और यहां भाजपा के लोग कांग्रेस से लड़ रहे हैं। भाजपा के कुछ लोग जबरन कांग्रेस कार्यालय के गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और विरोध में नारेबाजी की, जो गलत परंपरा है।

कई साल से चल रहा विवाद : अमेठी के गौरीगंज स्थित कौहार में स्थित सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन को लेकर एक दशक से विवाद चल रहा है। कौहार में सम्राट के नाम से साइकिल बनाने की फैक्ट्री स्थापित हुई जो 1990 के आसपास बंद हो गई। देनदारी को लेकर सम्राट फैक्ट्री के मालिक जैन बंधु पर बैंक ने कोर्ट केस किया। जिसके बाद यह जमीन नीलामी में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम आ गई। 2012 से ही जमीन को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। पिछले छह सालों में कई बार सम्राट की जमीन को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि कारखाना नहीं चलाना है तो उनकी जमीन उन्हें वापस कर दी जाय।

ट्रस्ट का नाम 'इंडो-इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन' होगा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- 'मुतवल्ली' की भूमिका निभायेगा ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में आज आ सकता है प्रस्ताव

अयोध्या की पांच एकड़ भूमि पर मस्जिद बनाने के साथ ही अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड 'इंडो-इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन' नाम से ट्रस्ट गठित करने जा रहा है। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड जिस तरह मुतवल्ली नियुक्त करता है, उसी तरह अयोध्या की इस वक्फ संपत्ति पर यह ट्रस्ट मुतवल्ली की भूमिका निभाएगा। इस ट्रस्ट में नौ सदस्य होंगे। बाद में मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों व उद्योगपतियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सुन्नी वक्फ बोर्ड की गुरुवार को होने वाली बैठक में ट्रस्ट गठन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार 'इंडो-इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन' नाम से ट्रस्ट का पंजीकरण भी करा लिया गया है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी चीफ ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट में वक्फ बोर्ड के चार सदस्य शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही लखनऊ के भी कुछ लोगों को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीइओ भी इसमें सदस्य होंगे। ट्रस्ट के नौ सदस्य बाद में मुस्लिम समुदाय के देश के प्रबुद्ध व बड़े उद्योगपतियों को नामित करेंगे। ऐसे चार-पांच बड़े व चर्चित नाम बाद में सदस्य के रूप में ट्रस्ट में शामिल किए जाएंगे। अयोध्या में पांच एकड़ भूमि पर मस्जिद निर्माण के साथ ही ऐसा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो इंडो-इस्लामिक सभ्यता को प्रदर्शित करेगा। यह केंद्र भारतीय व इस्लामिक सभ्यता पर शोध करेगा। यहां चैरिटेबिल अस्पताल, पब्लिक लाइब्रेरी व समाज की उपयोगिता की अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनके निर्माण व संचालन की पूरी जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट की होगी।

इंडो-इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन में किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। यह ऐसा ट्रस्ट होगा, जिसे राजनीतिक दलों की छाप से दूर रखा जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड में उनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा।

सीतापुर जेल में ही रहेंगे आजम और अब्दुल्ला

- जेल शिफ्टिंग मामले में दाखिल आपत्ति को कोर्ट ने किया खारिज
- सांसद की पत्नी तजीन के मामले में प्रशासन को फैसले का अधिकार

आजम खां (बाएं) अब्दुल्ला आजम के साथ। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, रामपुर

धोखाधड़ी के मामले में सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के जेल शिफ्टिंग को लेकर दाखिल आपत्ति अदालत ने खारिज कर दी है। सांसद और उनके बेटे अब सीतापुर जेल में ही रहेंगे। हालांकि, सांसद की पत्नी के मामले में अदालत ने प्रशासन को यह फैसला करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है।

सांसद और उनका परिवार धोखाधड़ी के मुकदमे में जेल में है। यह मुकदमा अब्दुल्ला के दो जन्मप्रमाण बनवाने को लेकर है। इसी मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने तीनों की कुर्की के आदेश कर दिए थे। इसके बाद 26 फरवरी को सांसद, उनकी पत्नी और बेटे ने धोखाधड़ी के मामले में आत्मसर्पण किया था। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में रामपुर जिला कारागार भेज दिया गया था। 27 फरवरी की सुबह ही तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जेल शिफ्टिंग को लेकर सांसद के अधिवक्ता ने अदालत में आपत्ति दाखिल की थी।

अधिवक्ता का कहना था कि सांसद और उनके परिवार को नियम विरुद्ध तरीके से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। कोर्ट से इसकी अनुमति भी नहीं ली गई है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष का कहना था कि सुरक्षा कारणों से सांसद और उनके परिवार को शिफ्ट किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय तिवारी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि अदालत ने सांसद के अधिवक्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया है।

अतिक्रमण कर बने धर्मस्थलों को 23 तक हटाए सरकार : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को 23 मार्च तक हटाने का सख्त आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। हालांकि सरकार ने कोर्ट से कार्रवाई के लिए एक साल का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इन्कार कर दिया।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सार्वजनिक स्थान व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मस्थलों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक इस आदेश पर कई पहल नहीं की। ऐसे में अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मस्थलों को तत्काल हटाने की कार्रवाई करनी होगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए कोर्ट से एक साल का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने लंबा समय देने से इन्कार कर दिया और 23 मार्च तक मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा कि अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण से न सिर्फ शहर में अराजकता को बढ़ावा मिलता है बल्कि प्रशासन का भय भी कम होता है।

छत्तीसगढ़ में कुलपति की नियुक्ति पर राजभवन-सरकार में टकराव के आसार

नईदुनिया, रायपुर

अनुसुईया उइके फाइल फोटो

- राजभवन ने दो दिन में जारी किया दो विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का आदेश
- आरएसएस की पृष्ठभूमि वालों को कुलपति बनाए जाने से सरकार नाखुश
- सीएम बोले- अब सरकार अपना काम करेगी

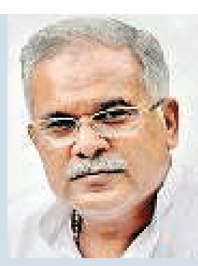

भूपेश बघेल फाइल फोटो

छत्तीसगढ़ में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव के आसार बढ़ गए हैं। राजभवन ने बीते दो दिनों में राज्य के दो विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। दोनों ही नियुक्त कुलपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि के बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आरएएस की पृष्ठभूमि वालों को कुलपति बनाए जाने से सरकार नाखुश है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है, मगर हमारी राय अलग थी। उन्होंने (राज्यपाल) अपना काम कर लिया अब हम अपना काम करेंगे। इसके साथ ही इस बात की चर्चा गर्म हो गई है कि सरकार कुलपतियों की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार दोनों विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति चयन को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके और सरकार के बीच कई दौर की बात हुई है, लेकिन एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से मामला लंबे समय से अटका पड़ा था।

प्रोफेसर बलदेव भाई को ठाकरे विवि की कमान : राजभवन ने प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया है। प्रो. बलदेव अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं।

पांच साल के लिए बढ़ाया कार्यकाल : राजभवन ने पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के कुलपति वंश गोपाल सिंह को फिर से पांच साल के लिए कुलपति नियुक्त कर दिया है। इनकी नियुक्ति पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार ने की थी।

एक साल से अटका था दोनों कुलपतियों का मामला : इन दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मामला करीब एक वर्ष से अटका था। राजभवन ने कुलपति चयन के लिए दो अलग- अलग समितियों का गठन किया था। दोनों समितियां अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति के लिए समिति ने सात नामों का पैनल बनाया था। इसी तरह कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के लिए भी छह से अधिक नामों का पैनल बना था।

बेहद सक्रिय राज्यपाल : छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बेहद सक्रिय रहती हैं। करीब आठ माह पहले ही उन्होंने राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है। इसके बाद से राजभवन से आम लोगों से जुड़े मामलों में विभागों को सीधे निर्देश जारी किए जा रहे हैं। राजभवन को प्राप्त होने वाले ज्ञापनों पर भी अधिकारी लगातार राजभवन तलब किए जा रहे हैं।

अहमदाबाद के थानों में लगेगी आंबेडकर की फोटो या प्रतिमा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : महानगर के सभी थानों में अब संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की फोटो या प्रतिमा रखनी होगी। महात्मा गांधी व सरदार वल्लभभाई पटेल की फोटो या प्रतिमा लगाना पहले से ही अनिवार्य था। गुजरात के गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक परिपत्र के मुताबिक, 71वें गणतंत्र दिवस पर राज्य के पुलिस महकमे के कार्यालयों में आंबेडकर की फोटो अथवा प्रतिमा लगाने का निर्णय किया गया था।

अहमदाबाद पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया का कहना है कि अहमदाबाद महानगर के सभी पुलिस थानों में जल्द ही डॉ. भीमराव आंबेडकर की फोटो या प्रतिमा लगवाई जाएगी। गत 28 फरवरी को ही शहर पुलिस ने परिपत्र जारी कर सभी थाना प्रभारियों को जल्द से जल्द थानों में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा या फोटो लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद लोगों को डॉ. आंबेडकर के बारे में जानकारी देना है।

अक्टूबर 2019 में थानों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो या प्रतिमा लगाने का निर्देश जारी किया था। उसके बाद रन फॉर यूनिटी समारोह से पहले सरदार पटेल की फोटो व प्रतिमा लगाने का फैसला लिया गया।

बंगाल की सियासत

दिल्ली हिंसा के प्रतिवाद में तृणमूल ने पूरे बंगाल में निकाली रैली, शुक्रवार को भी राज्यभर में निकाली जाएगी रैली

भाजपा के खिलाफ तृकां का नया अभियान शुरू

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

दिल्ली में हिंसा की घटना के प्रतिवाद में तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को बंगाल में 'बीजेपी छी-छी' (भाजपा शर्म करो) अभियान शुरू किया। इसके तहत तृणमूल नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कोलकाता सहित राज्य के हर ब्लॉक में दिल्ली नरसंहार के खिलाफ 'बीजेपी छी-छी' रैली निकाली और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे राज्य में दोपहर 3 से 4 बजे तक एक घंटे के लिए यह रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि आगामी शुक्रवार को भी दिल्ली में हुए नरसंहार के खिलाफ तृणमूल की ओर से पूरे राज्यभर में 'बीजेपी छी-छी' रैली निकाली जाएगी।

ममता ने भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हमेशा हिंदुत्व की जप करती है, लेकिन असम में उन्होंने हिंदू हटाओ कार्यक्रम चलाया है। उन्होंने असम में एनआरसी की अंतिम सूची का जिक्र करते हुए कहा कि इससे 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, जिनमें अधिकतर हिंदू हैं।

ममता बनर्जी ने भाजपा पर असम में हिंदू हटाओ कार्यक्रम चलाने का लगाया आरोप

भाजपा ने कहा, 'और नहीं अन्याय' अभियान को जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिल रही है : बंगाल में निकाय चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रविवार को शुरू किए प्रदेश भाजपा के 'आर नोय अन्याय' (और नहीं अन्याय) अभियान को लोगों से जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। प्रदेश भाजपा का दावा है कि अभियान के शुरू होने के बाद से 1.5 लाख से अधिक लोगों ने इसपर प्रतिक्रिया दी है। इस अभियान का उद्देश्य अगले छह महीनों में राज्य के करीब पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचकर ममता बनर्जी सरकार के कुशासन के खिलाफ उन्हें जागरूक करना है। थी।

कम्युनिटी प्रोग्राम के नाम पर गांवों में न जाएं बीएसएफ जवान : ममता

जागरण संवाददाता, कालियागंज : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीएसएफ जवान को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर गांवों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गांव के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अपने चार दिनों के उत्तर बंगाल दौरे पर मंगलवार को कालियागंज आयी थी। वहां प्रशासनिक समीक्षा बैठक में उन्होंने उक्त बाते भी कही। साथ ही यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों को सचेत रहना चाहिए। उत्तर दिनाजपुर सीमा पर कई राज्यों के साथ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी है। हमने इस मसले पर गृह मंत्री से भी बात किया है। ममता ने आगे कहा कि कानून व्यवस्था को देखना राज्य सरकारी की जिम्मेदारी है। यह हमारे अधीन है। पुलिसकर्मियों को इसे देखना चाहिए और जरूरत के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए।

बंगाल में अप्रैल में होंगे निकाय चुनाव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: अप्रैल में ही बंगाल में निकाय चुनाव होगा। बुधवार को कोलकाता, हावड़ा नगर निगम सहित राज्य के 107 नगर निकायों के लिए होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने 18 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) के साथ बैठक के बाद इसके संकेत दिए। इस बैठक में कानून-व्यवस्था की स्थिति व चुनाव की तैयारियों पर राज्य चुनाव आयुक्त ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

राज्य चुनाव आयुक्त सौरभ कुमार दास ने शांतिपूर्ण व हिंसामुक्त चुनाव के लिए जिलाधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार 12 से 26 अप्रैल के बीच चुनाव कराने को इच्छुक है। इससे पहले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त सौरभ कुमार दास के साथ बैठक की थी।

बालिका वधू से शारीरिक संबंध पर दर्ज होगा दुष्कर्म का केस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हरियाणा ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 में किया संशोधन
- पॉक्सो एक्ट में पहले से ही कड़ी सजा का प्रावधान, आरोपितों का बचना नामुमकिन

बाल विवाह रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा में मौजूदा कानून को और कड़ा कर दिया गया है। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में पहले ही 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है, चाहे वह पत्नी ही क्यों न हो। हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार 15 से 18 वर्ष की पत्नी से शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया था, जिसे निष्प्रभावी करने के लिए प्रदेश सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 में संशोधन किया है।

हरियाणा विधानसभा में संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया है। इसके तहत बाल विवाह के बाद बालिका और उसके पति के बीच शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म मानते हुए आरोपित पुरुष को सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कर्नाटक विधानसभा की तर्ज पर यह संशोधन किया है।

बता दें कि कर्नाटक राज्य विधान मंडल ने धारा-3 में उपधारा (1क) शामिल की है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अनुसार हर तरह के बाल विवाह पर रोक लगाई गई है। इसके तहत 15 से 18 साल की उम्र की लड़की और पुरुष के बीच कोई भी वैवाहिक संबंध शून्य होगा।